राजस्थान सरकार,
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान–जयपुर।

कमांकः प्रशिक्षण / म.स्वा.का. / 09–10 / 269 दिनांकः03.07.09

:: प्रवेश विज्ञप्ति ::

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान–जयपुर के अधीन संचालित 32 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों, जिनकी सूची विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित है, में प्रवेश हेतु योग्य महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जो उस जिले के प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी भी हैं, के कार्यालय में 13.08.09 (सांय काल 6.00 बजे) तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां तथा सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम देय 20 रूपये (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये निःशुल्क) का पोस्टल ऑर्डर आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड / साधारण डाक / स्पीड पोस्ट या कोरियर द्वारा भेजे जा सकते हैं। व्यक्तिशः आवेदन पत्र नहीं लिये जायेंगे।

प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु निर्धारित योग्यता एवं शर्तें निम्नानुसार है :–

<u>शैक्षणिक योग्यताः–</u> माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से सैकण्डरी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य बोर्ड से सैकण्डरी के समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी एवं गणित विषय सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

प्रशिक्षण अवधिः– प्रशिक्षण अवधि 18 माह की होगी। प्रशिक्षण माह सितम्बर / अक्टुबर में प्रारम्भ किया जाना सम्भावित है।

आयुः– आयु दिनांकः 01.01.09 को 17 वर्ष से कम तथा 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग की अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की नियमानुसार छूट देय है।

आरक्षणः–

(1) अनुसूचित जाति – 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति– 12 प्रतिशत एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को 21 प्रतिशत आरक्षण देय है।

(2) क्षैतिज आधार (होरीजेन्टल बैसिस) पर निम्नानुसार आरक्षण देय हैः–
- (क) पांच वर्ष का कार्यानुभव एवं निर्धारित योग्यता वाली आंगनवाडी कार्यकर्ता **अभ्यर्थियों के लिये 15 प्रतिशत।**
- (ख) मिलेट्री / पैरा मिलेट्री / पुलिस मृतक कर्मियों की विधवाओं के लिये 3 प्रतिशत।
- (ग) अन्य श्रेणी की विधवाओं एवं तलाकशुदा अभ्यर्थियों के लिये 2 प्रतिशत।
- (घ) विकलांग श्रेणी ओ.एल.(एक टांग) अभ्यर्थियों के लिये 3 प्रतिशत।
- (च) न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा तथा अधिकतम 35 वर्ष की आयु की विभागीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महिला अभ्यर्थियों के लिये 15 प्रतिशत, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण में चयन के बाद नियमानुसार अवकाश लेना होगा।

(3) डूँगरपुर एवं बांसवाडा प्रशिक्षण केन्द्र पर राज्य सरकार कार्मिक विभाग (क–2) की अधिसूचना दिनांकः 7.11.1996 के निर्देशानुसार डूँगरपुर / बांसवाडा पूरे जिले एवं उदयपुर / राजसमन्द / चित्तौडगढ / सिरोही जिलों के अनुसूचित खण्डों के स्थानीय जनजातियों के अभ्यर्थियों का 45 प्रतिशत तथा स्थानीय अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का का 5 प्रतिशत आरक्षण होगा तथा शेष 50 प्रतिशत सीटें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये होगी।

चयन प्रकियाः–

(1) चयन में राजस्थान के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिसके लिये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

(2) सैकण्डरी अथवा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उत्तीर्ण परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर पूर्णतया मेरिट के आधार पर जिलावार मेरिट सूचियां तैयार की जाकर सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा इस निदेशालय के निर्देशन में आरक्षण की श्रेणीवार वरीयता के आधार पर चयन किया जायेगा।

(3) मेरिट सूची/चयन सूची विभागीय वैबसाईट के साथ–साथ निदेशालय तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी, तथा चयनित अभ्यर्थी को पत्र द्वारा भी सूचित किया जायेगा।

(4) चयनित अभ्यर्थियों को उनके चयन से सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र पर निर्धारित समय सीमा में अपने मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थिति देनी होगी अन्यथा चयन आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

(5) चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी के पास रहेंगे और उनका सम्बन्धित बोर्ड/संस्थान से सत्यापन हो जाने पर ही लौटाये जा सकेंगे। यदि सत्यापन के दौरान किसी अभ्यर्थी के कोई दस्तावेज फर्जी पाये जायेंगे, तो उसे तत्काल प्रशिक्षण से पृथक करते हुये ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्व आपराधिक मामला भी दर्ज कराया जायेगा।

(6) चयन के सम्बन्ध में प्रस्तुत अभ्यावेदन/प्रतिवेदन का निस्तारण इस निदेशालय के निर्देशों के अध्यधीन होगा।

स्टाई फण्ड:– चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार स्टाई फण्ड देय होगा।

प्रशिक्षण के नियम:– प्रशिक्षणार्थी को उपस्थिति की अनिवार्यता/ अवकाश /पाठ्यक्रम एवं अन्य शर्तें जो समय–समय पर राज्य सरकार/इस निदेशालय या राजस्थान नर्सिंग कॉउसिल द्वारा निर्धारित की जायेगी, का पालन करना अनिवार्य होगा।

(ओ.पी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान–जयपुर।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र

क. स.	प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी अधिकारी कार्यालय का नाम	जिले का नाम	क. स.	प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी अधिकारी कार्यालय का नाम	जिले का नाम
1	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	अजमेर	17	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	झुन्झुनू
2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	भीलवाडा	18	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	कोटा
3	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	टोंक	19	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	बून्दी
4	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	नागौर	20	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	बांरा
5	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	बीकानेर	21	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	झालावाड
6	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	चूरू	22	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	उदयपुर
7	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	गंगानगर	23	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	बांसवाडा
8	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	हनुमानगढ	24	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	चित्तौडगढ
9	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	भरतपुर	25	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	राजसमन्द
10	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	धौलपुर	26	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	डूँगरपुर
11	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	करौली	27	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	जोधपुर
12	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सवाई माधोपुर	28	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	बाडमेर
13	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	जयपुर	29	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	जैसलमेर
14	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	अलवर	30	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सिरोही
15	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	दौसा	31	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	जालौर
16	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सीकर	32	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पाली

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2009–10
प्रवेश हेतु आवेदन का प्रारूप

स्वयं का पासपोर्ट साईज का हस्ताक्षरित फोटो चिपकाऐं।

भाग – अ

कृपया अपने से सम्बन्धित बॉक्स पर (√) चिन्ह अंकित करें।

1. अभ्यर्थी :–
2. अभ्यर्थी का जाति वर्ग :–
   सामान्य ☐ अन्य पिछडी जाति ☐ अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जनजाति
3. क्या अभ्यर्थी विकलांग (OL) श्रेणी में प्रवेश का पात्र है :– हाँ नहीं
   (प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
4. क्या अभ्यर्थी विभागीय महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हाँ ☐ नहीं ☐
   (भाग 'स' को भरना अनिवार्य है।)
5. क्या अभ्यर्थी आंगनबाडी कार्यकर्ता है:– हाँ नहीं ☐
   (भाग 'स' को भरना अनिवार्य है।)
5. क्या मिलेट्री/पैरा मिलेट्री/पुलिस मृतक कर्मियों की विधवा/अन्य श्रेणी की विधवा/तलाकशुदा है:– हाँ/नहीं ☐
   (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है) यदि हाँ तो श्रेणी का नाम लिखें............................
6. परीक्षा शुल्क विवरण:– पोस्टल आर्डर नं. .... दिनांक ....राशि (रूपये).............

भाग – ब

1. अभ्यर्थी का नाम ....
2 पिता/पति का नाम ....
3 जन्म तिथि _ _/_ _/_ _ _ _ (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
4 दिनांक 01.01.2009 को आयु :– वर्ष _ _ माह _ _ दिन _ _
5 वर्तमान पता ....
....जिला.............................
6 स्थाई पता ....
....जिला.............................

7	शैक्षणिक योग्यता (सैकण्डरी अथवा समकक्ष का ही विवरण दें।)							
क्र. सं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	रोल नम्बर	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांकों का प्रतिशत	विषय

हस्ताक्षर आवेदक

भाग – स
(केवल विभागीय महिला च0श्रे0कर्मचारियों/आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के लिए)

1. नाम अभ्यर्थी.......................... 2. पिता /पति का नाम ....

3 पदनाम 4.नियुक्ति तिथि

4 वर्तमान पदस्थापन स्थान ....जिला ....

हस्ताक्षर आवेदक

उपरोक्त विवरण कार्यालय रिकार्ड अनुसार सही है।

हस्ताक्षर
नियुक्ति/प्रशासनिक अधिकारी मय
कार्यालय मोहर

भाग –द
घोषणा

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए उपरोक्त विवरण एवं संलग्न पत्रादि मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य हैं, तथा मैंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर आवेदक